



This is a digitally signed Gazette, to verify click here.

<http://rajpatrahimachal.nic.in>

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

बुधवार, 30 जुलाई, 2025 / 08 श्रावण, 1947

हिमाचल प्रदेश सरकार

MPP & POWER DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171 002, the 2nd May, 2025

No. MPP-F(10)-13/2024.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to order that the employees of Himachal Pradesh State Electricity Board (HPSEBL) who are on deputation with

HPPCL, HPPTCL, DoE, HIMURJA and other line departments on secondment basis will be able to exercise the option to get their services be taken over by the said organization respectively. Their service absorbed/merged in the borrowing departments subject to the following conditions:—

- (i) The terms and conditions of appointment in the HPSEBL will remain unchanged.
- (ii) Promotion avenues will be provided to the staff of HPSEBL and if need be, superannuary posts shall be created as a personal measure, so that their career growth is not adversely affected.
- (iii) Their absorption/merger will also not affect the career prospects of the employees recruited by the HPPCL/HPPTCL/DOE/HIMURJA in their respective cadres. They will also get promotion as per the career progressive scheme in the respective organization.

Further, the Governor, Himachal Pradesh is also pleased to order that the employees who are presently working in HPSEBL and are willing to serve in other Departments/ Organizations can give their option to get absorbed in the new/preferred department/ organization on the above mentioned terms and conditions. It is also clarified that their transfer from HPSEBL to HPPCL/HPPTCL/DOE/HIMURJA or any other line Department shall not be considered as foreign service or deputation and it shall be treated as transfer till final absorption in the respective organization.

By order,
Sd/-
(RAKESH KANWAR, IAS),
Secretary (Power).

**DEPARTMENT OF THE ADVOCATE GENERAL
HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001**

NOTIFICATION

Shimla-171 001 the 13th December, 2024

No. 1-22/2024-81754.—Sanction is hereby accorded to the grant of three days earned leave for **11th to 13th December, 2024** with permission to avail *suffix i.e* Second Saturday and Sunday falling on 14th and 15th December, 2024 in favour of **Sh. Tarun Pathak, Deputy Advocate General**.

Certified that **Sh. Tarun Pathak, Deputy Advocate General** would have continued to officiate but for his proceeding on 03 days earned leave and this period will count for continuation of his service.

Certified that **Sh. Tarun Pathak, Deputy Advocate General** is likely, on the expiry of leave will return for duty to the station from where he proceeds on leave.

Sd/-
(ISHWARI NAND MEHTA),
Sr. Addl. Advocate General,
Himachal Pradesh, Shimla.

**DEPARTMENT OF THE ADVOCATE GENERAL
HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001**

NOTIFICATION

Shimla-171 001 the 2nd January, 2025

No. 1-14/2023-6036.—In partial modification of this department's notification of even No. 81456-57 dated, 10th December, 2024 and Pursuant to his application dated 26-12-2024, *ex-post* sanction is hereby accorded to the grant of 16 days Earned Leave *w.e.f.* **09-12-2024 to 24-12-2024** with permission to avail prefix/ suffix *i.e.* Sunday and gazetted holiday which fell on 8th December, 2024 and 25th December, 2024 in favour of **Shri Varun Chandel, Additional Advocate General** of this department.

Certified that **Shri Varun Chandel, Additional Advocate General** would have continued to officiate but for his proceeding on 16 days earned leave and this period will count for continuation of his service.

Certified that **Shri Varun Chandel, Additional Advocate General** was likely, on the expiry of leave will return for duty to the station from where he proceeded on leave.

Sd/-
(ISHWARI NAND MEHTA),
Sr. Addl. Advocate General,
Himachal Pradesh, Shimla.

ब अदालत जनाब उप—मण्डल दण्डाधिकारी, सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0)

ब मुकद्दमा:

श्री अमर सिंह पुत्र स्व0 श्री पोहलो राम, निवासी गांव भटेड़ उपरली, डाकघर बरमाणा, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0)।

व

श्रीमती लता देवी पुत्री श्री दिला राम, निवासी गांव रीड़ी कंडैला, डाकघर जुखाला व तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) व श्रीमती लता देवी पुत्री श्री दिला राम, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना—पत्र बराये विवाह पंजीकरण करवाने बारे।

नोटिस बनाम आम जनता।

उपरोक्त मुकद्दमा उनवान वाला में प्रार्थी श्री अमर सिंह पुत्र स्व0 श्री पोहलो राम, निवासी गांव भटेड़ उपरली, डाकघर बरमाणा, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) व श्रीमती लता देवी पुत्री श्री दिला राम, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0)।

निवासी गांव रीड़ी कंडैला, डाकघर जुखाला व तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) ने इस अदालत में संयुक्त तौर पर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है, जिसके अनुसार उन्होंने व्यक्त किया है कि उन्होंने दिनांक 28-05-1993 को व्यवस्थित विवाह हिन्दू रीति-रिवाजों के अनुसार किया है तथा इसकी प्रविष्टि समयबद्ध स्थानीय पंजीयक के रिकार्ड में दर्ज नहीं है अतः विलम्बित अवधि को मर्जित करके उक्त विवाह की प्रविष्टि हेतु सचिव, ग्राम पंचायत बरमाणा, विकास खण्ड सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) को निर्देश दिये जावें।

अतः आम जनता को इस नोटिस द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगण के विवाह की प्रविष्टि दिनांक 28-05-1993 को दर्ज करने बारा यदि कोई एतराज हो तो वह दिनांक 18-08-2025 या इससे पूर्व किसी भी कार्य दिवस पर असालतन या वकालतन इस कार्यालय में उपस्थित होवें। अन्यथा श्री अमर सिंह पुत्र स्व0 श्री पोहलो राम, निवासी गांव भटेड़ उपरली, डाकघर बरमाणा, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) व श्रीमती लता देवी पुत्री श्री दिला राम, निवासी गांव रीड़ी कंडैला, डाकघर जुखाला व तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) के विवाह की प्रविष्टि करने हेतु सचिव, ग्राम पंचायत बरमाणा, विकास खण्ड सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) को आदेश जारी कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 18-07-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ है।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
उप-मण्डल दण्डाधिकारी,
सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0)।

ब अदालत जनाब उप-मण्डल दण्डाधिकारी, सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0)

ब मुकद्दमा:

श्री अनिल कुमार पुत्र श्री ईन्द्र सिंह, निवासी गांव तुहनू, डाकघर कल्लर, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0)।

व

श्रीमती श्वेता मंडोत्रा पुत्री दिनेश मंडोत्रा, निवासी गांव व डाकघर छरबा, तहसील विकासनगर, जिला देहरादून (उत्तराखण्ड) प्रार्थीगण।

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना-पत्र बराये विवाह पंजीकरण करवाने बारे।

नोटिस बनाम आम जनता।

उपरोक्त मुकद्दमा उनवान वाला में प्रार्थी श्री अनिल कुमार पुत्र श्री ईन्द्र सिंह, निवासी गांव तुहनू, डाकघर कल्लर, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) व श्रीमती श्वेता मंडोत्रा पुत्री दिनेश मंडोत्रा, निवासी गांव व डाकघर छरबा, तहसील विकासनगर, जिला देहरादून (उत्तराखण्ड) ने इस अदालत में संयुक्त तौर पर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है, जिसके अनुसार उन्होंने व्यक्त किया है कि उन्होंने दिनांक 12-10-2024 को व्यवस्थित विवाह हिन्दू रीति रिवाजों के अनुसार किया है तथा इसकी प्रविष्टि समयबद्ध स्थानीय पंजीयक के रिकार्ड में दर्ज नहीं है अतः विलम्बित अवधि को मर्जित करके उक्त विवाह की प्रविष्टि हेतु सचिव, ग्राम पंचायत कल्लर, विकास खण्ड सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) को निर्देश दिये जावें।

अतः आम जनता को इस नोटिस द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगण के विवाह की प्रविष्टि दिनांक 12-10-2024 को दर्ज करने बारा यदि कोई एतराज हो तो वह दिनांक 18-08-2025 या इससे पूर्व किसी भी कार्य दिवस पर असालतन या वकालतन इस कार्यालय में उपस्थित हों। अन्यथा श्री अनिल कुमार पुत्र श्री ईन्द्र सिंह, निवासी गांव तुहनू, डाकघर कल्लर, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) व श्रीमती श्वेता मंडोत्रा पुत्री दिनेश मंडोत्रा, निवासी गांव व डाकघर छरबा, तहसील विकासनगर, जिला देहरादून (उत्तराखण्ड) के विवाह की प्रविष्टि करने हेतु सचिव, ग्राम पंचायत कल्लर, विकास खण्ड सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) को आदेश जारी कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 18-07-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ है।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
उप-मण्डल दण्डाधिकारी,
सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0)।

**Office of the Additional District Registrar of Marriages-cum-Sub-Divisional Magistrate
Jhandutta, District Bilaspur (H.P.)**

In the matter of :

1. Sandeep Dhiman s/o Sh. Jagdev Dhiman, r/o Village Bakain, P.O. Kalol, Sub-Tehsil Kalol, District Bilaspur, H.P.
 2. Priti d/o Sh. Inder Chand, Village Thatidhar, P.O. Bajaura, Tehsil Kullu, District Kullu, H.P.
- . .Applicants.

Versus

General Public

. .Respondent.

Subject.—Application for Registration of Marriage under section 5 of Special Marriage Act, 1954.

Sandeep Dhiman & Priti applicants have filed an application alongwith affidavit in the court of undersigned under section 5 of Special Marriage Act, 1954 that they want to solemnize their marriage according to Hindu Rites and Ceremonies.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 17-08-2025 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 18-07-2025 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-
Additional District Registrar of Marriages-cum-SDM,
Jhandutta, District Bilaspur (H.P.).

**ब अदालत श्री रजत शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी मैजिस्ट्रेट निरमण्ड,
जिला कुल्लू (हि0 प्र0)**

श्री वेद राम पुत्र श्री गोविन्द राम, निवासी गांव बागिपुल, डाकघर ब्यूणी, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

उनवान मुकद्दमा.— जन्म व मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के अन्तर्गत विलम्बित जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण करने बारे।

श्री वेद राम पुत्र श्री गोविन्द राम, निवासी गांव बागिपुल, डाकघर ब्यूणी, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि प्रार्थी का जन्म दिनांक 06-03-1967 को गांव बागिपुल, डाकघर ब्यूणी, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश में हुआ था, लेकिन उसके परिवारजन अज्ञानतावश उसके जन्म का पंजीकरण ग्राम पंचायत डीम, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू, हि0प्र0 के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में दर्ज नहीं करवा सके। अतः ग्राम पंचायत डीम के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में उसके जन्म का विलम्बित पंजीकरण करने के आदेश पारित किए जाएं।

अतः उपरोक्त जन्म पंजीकरण बारे सर्वसाधारण व आम जनता को इस राजपत्र इश्तहार व मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त जन्म पंजीकरण करने बारे कोई उजर/एतराज है तो उजरकर्ता दिनांक 25-08-2025 को प्रातः 10.00 बजे इस मुकद्दमा की पैरवी हेतु व्यक्तिगत रूप से अथवा किसी अधिकृत एजेंट के माध्यम से या किसी अधिवक्ता के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर उजर पेश कर सकता है। गैर-हाजिरी की सूरत में मुताबिक प्रार्थना-पत्र जन्म पंजीकरण करने हेतु आदेश पारित कर दिए जाएंगे एवं तारीख पेशी अर्थात् 11-08-2025 के बाद कोई भी उजर/एतराज विचारणीय न होगा।

आज दिनांक 25-07-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
तहसीलदार एवं कार्यकारी मैजिस्ट्रेट,
निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

**ब अदालत श्री रजत शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी मैजिस्ट्रेट निरमण्ड,
जिला कुल्लू (हि0 प्र0)**

श्री उगम राम पुत्र श्री हुकम राम, गांव दुमगा फाटी तुनन, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।
प्रतिवादी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

उनवान मुकद्दमा.— जन्म व मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के अन्तर्गत विलम्बित जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण करने बारे।

श्री उगम राम पुत्र श्री हुकम राम, गांव दुमगा फाटी तुनन, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि प्रार्थी की पुत्री गुड्डी का जन्म दिनांक 18-10-2000 को गांव दुमगा फाटी तुनन, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0प्र0) में हुआ था, लेकिन उसके जन्म का पंजीकरण ग्राम पंचायत तुनन, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू, हि0प्र0 के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में दर्ज नहीं करवा सके। अतः ग्राम पंचायत तुनन के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में उसके जन्म का विलम्बित पंजीकरण करने के आदेश पारित किए जाएं।

अतः उपरोक्त जन्म पंजीकरण बारे सर्वसाधारण व आम जनता को इस राजपत्र इश्तहार व मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त जन्म पंजीकरण करने बारे कोई उजर/एतराज है तो उजरकर्ता दिनांक 25-08-2025 को प्रातः 10.00 बजे इस मुकद्दमा की पैरवी हेतु व्यक्तिगत रूप से अथवा किसी अधिकृत एजेंट के माध्यम से या किसी अधिवक्ता के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर उजर पेश कर सकता है। गैर-हाजिरी की सूरत में मुताबिक प्रार्थना-पत्र जन्म पंजीकरण करने हेतु आदेश पारित कर दिए जाएंगे एवं तारीख पेशी अर्थात् 11-08-2025 के बाद कोई भी उजर/एतराज विचारणीय न होगा।

आज दिनांक 25-07-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
तहसीलदार एवं कार्यकारी मैजिस्ट्रेट,
निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

**ब अदालत श्री रजत शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी मैजिस्ट्रेट निरमण्ड,
जिला कुल्लू (हि0 प्र0)**

रजना कुमारी पुत्री कृष्ण लाल, गांव माहवा, ग्राम पंचायत कोठी खरगा, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0प्र0) वादिया।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

उनवान मुकद्दमा.— जन्म व मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के अन्तर्गत विलम्बित जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण करने बारे।

रजना कुमारी पुत्री कृष्ण लाल, गांव माहवा, ग्राम पंचायत कोठी खरगा, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि प्रार्थिया का जन्म दिनांक 22-05-1991 को गांव माहवा, ग्राम पंचायत कोठी खरगा, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0प्र0) में हुआ था, लेकिन उसके परिवारजन अज्ञानतावश उसके जन्म का पंजीकरण ग्राम पंचायत खरगा, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू, हि0प्र0 के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में दर्ज नहीं करवा सके। अतः ग्राम पंचायत खरगा के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में उसके जन्म का विलम्बित पंजीकरण करने के आदेश पारित किए जाएं।

अतः उपरोक्त जन्म पंजीकरण बारे सर्वसाधारण व आम जनता को इस राजपत्र इश्तहार व मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त जन्म पंजीकरण करने बारे कोई उजर/एतराज है तो उजरकर्ता दिनांक 25-08-2025 को प्रातः 10.00 बजे इस मुकद्दमा की पैरवी हेतु व्यक्तिगत रूप से अथवा किसी अधिकृत एजेंट के माध्यम से या किसी अधिवक्ता के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर उजर

पेश कर सकता है। गैर-हाजिरी की सूरत में मुताबिक प्रार्थना-पत्र जन्म पंजीकरण करने हेतु आदेश पारित कर दिए जाएंगे एवं तारीख पेशी अर्थात् 11-08-2025 के बाद कोई भी उजर/एतराज विचारणीय न होगा।

आज दिनांक 25-07-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
तहसीलदार एवं कार्यकारी मैजिस्ट्रेट,
निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

**In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Manali,
District Kullu (H.P.)**

1. Abhinav Awasthi s/o Sh. Shashi Bhushan Awasthi, r/o Village and P.O. Patli Kuhal, Tehsil Manali, District Kullu, H.P.

2. Himanshu Sharma d/o Sh. Om Prakash Sharma, r/o Near Bridge Shilihar, Bhuntar, District Kullu, H.P.

Versus

General Public

Subject.—Regarding Registration of Marriage u/s 8(4) of the H.P. Registration of Marriage Act, 1969.

Abhinav Awasthi s/o Sh. Shashi Bhushan Awasthi, r/o Village and P.O. Patli Kuhal, Tehsil Manali, District Kullu, H.P. and Ms. Himanshu Sharma d/o Sh. Om Prakash Sharma, r/o Near Bridge Shilihar, Bhuntar, District Kullu, H.P. have submitted an application alongwith affidavits before the undersigned declaring that they solemnized their marriage on 17-05-2022.

However, the said marriage is not found recorded in the official registers of the Marriage Registrar, concerned Municipal Council/Gram Panchayat in Tehsil Manali, District Kullu, H.P.

Accordingly, objections are hereby invited from the general public through this notice. If any person has any objection to the registration of the above-mentioned marriage, they may submit the same personally or in writing before the court of the undersigned within 30 days from the publish of this notice.

Issued under my hand and seal of the court on 18th July, 2025.

Seal.

Sd/-
(RAMAN KUMAR SHARMA),
Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Manali, District Kullu, H.P.

कार्यालय कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, पधर, जिला मण्डी (हि0प्र0)

श्रीमती हल्या देवी पत्नी इन्द्र पाल, निवासी गांव बनौग, डाकघर पाली, तहसील पधर, जिला मण्डी।

बनाम

आम जनता

विषय.—दरखास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती हल्या देवी पत्नी इन्द्र पाल, निवासी गांव बनौग, डाकघर पाली, तहसील पधर, जिला मण्डी ने इस अदालत में प्रार्थना—पत्र मय शपथ पत्र गुजारा है कि प्रार्थिया श्रीमती हल्या देवी का जन्म दिनांक 25-05-1960 को हुआ है, जिसका इन्द्राज ग्राम पंचायत पाली, तहसील पधर, जिला मण्डी, हि0 प्र0 में दर्ज है। परन्तु प्रार्थिया का नाम आधार कार्ड में अहल्या देवी व जन्म दिनांक 20-05-1960 दर्ज करवाया है जोकि गलत है। अतः प्रार्थिया अपना नाम आधार में अहल्या देवी व जन्म तिथि 20-05-1960 के स्थान पर हल्या देवी व जन्म तिथि 25-05-1960 दर्ज करवाना चाहती है।

अतः इस इशतहार द्वारा आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त व्यक्ति/महिला की जन्म तिथि पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक -08-2025 को या इससे पूर्व अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा कोई एतराज प्राप्त न होने की सूरत में सम्बन्धित सचिव, ग्राम पंचायत बड़ीधार को उक्त प्रार्थिया की जन्म तिथि दर्ज करने बारे आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक -07-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0प्र0)।

कार्यालय कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, पधर, जिला मण्डी (हि0प्र0)

नीलम चौहान पुत्री भगत राम, निवासी गांव शिन्नारी, डाकघर कुन्नू, तहसील पधर, जिला मण्डी।

बनाम

आम जनता

विषय.—दरखास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती नीलम चौहान पुत्री भगत राम, निवासी गांव शिन्नारी, डाकघर कुन्नू, तहसील पधर, जिला मण्डी ने इस अदालत में प्रार्थना—पत्र मय शपथ पत्र गुजारा है कि प्रार्थिया नीलम चौहान का जन्म दिनांक 05-04-1963 को हुआ है, जिसका इन्द्राज ग्राम पंचायत पाली, तहसील पधर, जिला मण्डी, हि0प्र0 में अज्ञानतावश दर्ज नहीं करवाया है।

अतः इस इशतहार द्वारा आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त व्यक्ति/महिला की जन्म तिथि पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 25-08-2025 को या इससे पूर्व अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा कोई

एतराज प्राप्त न होने की सूरत में सम्बन्धित सचिव, ग्राम पंचायत पाली को उक्त प्रार्थिया की जन्म तिथि दर्ज करने बारे आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 22-07-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील धर्मपुर, जिला मण्डी (हि0प्र0)

मिसल नं0 : 0/2025

तारीख मजरूआ : 24-07-2025

तारीख पेशी : 25-08-2025

श्री मंगत राम पुत्र त्रहडू राम, निवासी डाकघर सिद्धपुर, तहसील धर्मपुर, जिला मण्डी (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना—पत्र बराये जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री मंगत राम पुत्र त्रहडू राम, निवासी डाकघर सिद्धपुर, तहसील धर्मपुर, जिला मण्डी (हि0प्र0) ने इस अदालत में अपनी जन्म तिथि 08-08-1965 ग्राम पंचायत सिद्धपुर के रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहता है पहले अज्ञानतावश अपनी जन्म तिथि ग्राम पंचायत सिद्धपुर के रिकार्ड में दर्ज न करवा सका। इस प्रकार से वादी को कई कठनाईयों का सामना करना पड़ रहा है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी व्यक्ति को कोई एतराज हो तो 25-08-2025 को असालतन या वकालतन प्रातः 10.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में हाजिर होकर अपना एतराज लिखित या मौखिक पेश कर सकते हैं अन्यथा इनकी जन्म ग्राम पंचायत सिद्धपुर के रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे। निर्धारित अवधि के पश्चात् किसी आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
तहसील धर्मपुर, जिला मण्डी (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, मण्डी, जिला मण्डी,
हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 :
52/2025

तारीख मजरूआ :
20-06-2025

तारीख पेशी :
22-08-2025

श्रीमती मीरा देवी पुत्री श्री राम सिंह, निवासी गांव कठलग, डाकघर पधियूं, तहसील सदर, जिला मण्डी (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) के अन्तर्गत पंचायत में जन्म एवं मृत्यु अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत नाम व जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे इशतहार/गजट राजपत्र में प्रकाशन बारे।

श्रीमती मीरा देवी पुत्री श्री राम सिंह, निवासी गांव कठलग, डाकघर पधियूं, तहसील सदर, जिला मण्डी (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र दायर किया है कि मेरा जन्म दिनांक 04-05-1959 को मेरी माता श्रीमती खिमी देवी पत्नी राम सिंह, निवासी गांव कठलग, डाकघर पधियूं, तहसील सदर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश के गर्भ से मेरे घर हुआ है। मेरे माता-पिता का स्वर्गवास हो चुका है तथा अनपढ़ व अज्ञानता के कारण मेरा नाम मेरे मायके की ग्राम पंचायत तल्याहड, तहसील सदर, जिला मण्डी के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं करवा सके। अब ग्राम पंचायत का विलय कमेटी एरिया मण्डी में हो चुका है। अतः अब मैं अपना नाम नगर निगम मण्डी, जिला मण्डी के रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहती हूं। जिसे दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित नगर निगम मण्डी को जारी किए जावें।

सर्वसाधारण को इस इशतहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को उक्त प्रार्थिया के नाम व जन्म तिथि को नगर निगम मण्डी के जन्म रजिस्टर में दर्ज किये जाने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह अससालतन या वकालतन अपना एतराज इस न्यायालय में दिनांक 22-08-2025 को प्रातः 10.00 बजे उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं। निश्चित अवधि के दौरान कोई भी उजर/एतराज न आने की सूरत में आम जनता के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

यह इशतहार आज दिनांक 22-07-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / -
कार्यकारी दण्डाधिकारी
तहसील मण्डी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

**In the Court of Sh. Surjeet Singh, HAS, Registrar-cum-Sub-Divisional Magistrate Padhar,
District Mandi (H.P.)**

No. Reader /3437-32

Date : 23-07-2025

File No. : 39/2025

Instt. on : 16-07-2025

Next date of hearing : 25-08-2025

In the matter of :

1. Sh. Shesh Ram s/o Sidhu, r/o Jamoh, P.O. Pali, Tehsil Padhar, Distt. Mandi (H.P.).
2. Indra Devi d/o Gangu Ram, r/o Dwaran, P.O. Pali, Tehsil Padhar, Distt. Mandi (H.P.).

Versus

General Public

Application under section 15 of the Special Marriage registration Act, 1954.

Whereas, Sh. Shesh Ram s/o Sidhu, r/o Jamoh, P.O. Pali, Tehsil Padhar, Distt. Mandi (H.P.) and Indra Devi d/o Gangu Ram, r/o Dwaran, P.O. Pali, Tehsil Padhar, Distt. Mandi (H.P.) both the petitioners have presented an application for the registration of Marriage under section 15, Chapter-III of the special Marriage Registration Act, 1954 for registration of their marriage solemnized on 04-12-1980. Both of them alleged to not having any living spouse, none of them is idiot or a lunatic and both of them are adult and not fall in degree of prohibited relationship and both of them are resident with local jurisdiction of Sub-Division Padhar and since they are living as husband & wife.

Hence this proclamation is hereby issued for the information of General Public that if any persons have any objection for the registration of the above Marriage they can appear & file objection in this court on or before 25-08-2025 at 10.00 A.M. personally or through an authorized agent failing which this marriage will be registered under the Act, *ibid* accordingly.

Given under my hand and seal of this court on 16-07-2025.

Seal.

Sd/-

(SH. SURJEET SINGH, H.A.S.),
Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Balh, District Mandi (H.P.).

Before the Executive Magistrate-cum-Naib Tehsildar, Dhalwan, District Mandi (H.P.)

In the matter of :—

Smt. Brasti d/o Sh. Hari Bhagat, presently w/o Sh. Hukam Chand, r/o Village Koini, P.O. Dhalwan, Sub-Tehsil Dhalwan, District Mandi (H.P.) . . . *Applicant.*

Versus

General Public

. . . *Respondent.*

Subject.—Application under section 13(3) of RBO Act, 1969 read with H.P. Birth and Death.

Whereas, an applicant by Smt. Brasti d/o Sh. Hari Bhagat, presently w/o Sh. Hukam Chand, r/o Village Kolni, P.O. Dhalwan, Sub-Tehsil Dhalwan, District Mandi alongwith affidavit and supporting documents received from office of District Registrar (Birth & Death)-cum-Chief Medical Officer Mandi, District Mandi, H.P. vide letter No. HFW-MND (Delayed Birth & Death) 2025/2009, dated 18th July, 2025 in which applicant Smt. Brasti d/o Sh. Hari Bhagat has stated that she was born on dated 26-03-1956 but her date of birth is not registered in the Birth & Death Register of Gram Panchayat Bharnal, Sub-Tehsil Dhalwan, Distt. Mandi, H.P. The applicant prayed to register the date of birth of above named in the record of Gram Panchayat Bharnal.

Now, therefore, the General Public is hereby informed through this notice that if any person having any objection for the registration of delayed date of Birth i.e. 26-03-1956 of the applicant in Panchayat Record, they may file their objections either personally or through an agent in writing

before this court on or before 25-08-2025 at 10.30 A.M. otherwise ex-parte proceeding will be initiated and orders of registration of date of Birth will be passed accordingly.

Issued under my hand and seal of this court today on 21st day of July, 2025.

Seal.

Sd/-
Executive Magistrat-cum-Naib Tehsildar,
Dhalwan, District Mandi (H. P.).

ब अदालत श्री हुक्म चन्द, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार पांगणा,
जिला मण्डी (हि0प्र0)

मिसल नं0 : 2

तारीख मजरूआ : 15-07-2025

तारीख फैसला :

रूप लाल पुत्र श्री धनी राम, निवासी झठो, डाकघर मरोठी, उप-तहसील पांगणा, जिला मण्डी (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र अधिनियम, 1969 जेर धारा 13(2/3) जन्म/मृत्यु दर्ज करवाने बारे।

श्री रूप लाल पुत्र श्री धनी राम, निवासी झठो, डाकघर मरोठी, उप-तहसील पांगणा, जिला मण्डी (हि0प्र0) ने इस अदालत में स्वयं आवेदन-पत्र पेश किया है, जिसमें लापता अशवनी कुमार पुत्र रूप लाल के आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक खाता की छायाप्रतियां, नकल परिवार रजिस्टर व नकल FIR संलग्न है तथा आवेदक ने आवेदन-पत्र में यह व्यक्त किया है कि मेरा पुत्र अशवनी कुमार दिनांक 30-06-2025 को अपने जीजा ललित कुमार पुत्र टेक चन्द, निवासी गांव भुठी, डाकघर व तहसील करसोग के गांव कुटी वाले घर में गया हुआ था। उक्त तिथि 30-06-2025 की मध्यरात्री को 12.00 बजे बादल फटने से ललित कुमार के मकान के साथ वाले नाले में अचानक बाढ़ आने के कारण मेरा पुत्र अशवनी कुमार व ललित कुमार भी पानी में बह गये। आवेदक ने इस घटना की रिपोर्ट दिनांक 01-07-2025 को पुलिस थाना करसोग में दर्ज करवाई है, उसके उपरान्त पुलिस विभाग, लापता अशवनी कुमार के परिजनों व रिश्तेदारों आदि के तलाश करने पर आज तक लापता अशवनी कुमार बरामद न हुआ है तथा आवेदक ने यह भी व्यक्त किया कि मेरा पुत्र अब जीति न है। इस सन्दर्भ में अब आवेदक अपने पुत्र अशवनी कुमार पुत्र रूप लाल की मृत्यु होने की तिथि 30-06-2025 को ही घोषित करना चाहता है, जिसकी पुष्टि हेतु आवेदक द्वारा शपथ-पत्र भी पेश किया गया है तथा प्रत्यक्षदर्शी खुब चन्द पुत्र टेक चन्द, गांव भुठी, जितेन्द्र कुमार पुत्र नामी चन्द, निवासी कलाशन व लापता की तलाश करने वाले व्यक्ति श्री चेतन गुलेरिया, जिला परिषद् सदस्य वार्ड चुराग, खुशी राम पुत्र हेत राम, निवासी ठहली, शुभम गुप्ता पुत्र सुरेन्द्र कुमार, निवासी ठण्डापानी के व्यानात कलम्बन्द किये गये हैं।

अतः इस अदालती इशतहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इस सन्दर्भ में किसी व्यक्ति व आम जनता को कोई एतराज हो तो वे अपना उजर व एतराज इस अदालत में 23-08-2025 प्रातः 10.00 बजे तक पेश कर सकते हैं। किसी की ओर से उजर व एतराज प्राप्त न होने पर आवेदक के पुत्र अशवनी कुमार पुत्र रूप लाल की मृत्यु तिथि 30-06-2025 दर्ज करवाकर ग्राम पंचायत कलाशन के जन्म व मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में नाम कटवाने के आदेश प्रदान कर दिये जाएंगे। सुनाया गया।

आज दिनांक 23-07-2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,
पांगणा, जिला मण्डी (हि0प्र0)।

**In the Court of Sub-Divisional Magistrate, Kandaghat, District Solan (H.P.) exercising
the powers of Marriage Officer under Special Marriage Act, 1954**

Case No. : 6/ 2025

Date of Instt. : 15-07-2025

Pending for : 19-08-2025

*Notice u/s 16 of the Special Marriage Act, 1954 inviting the objections of the General Public for
registration of marriage.*

Notice to the General Public

Whereas Sh. Arun Kumar s/o Sh. Bansi Lal aged 29 years, r/o Village Jardi, VTC. Post Office and Tehsil Pauni, Distt. Reasi, J & K a/p, r/o VPO Bisha, Tehsil Kandaghat, District Solan, H.P. and Smt. Geeta Devi d/o Sh. Ram Lal aged 26 years, r/o VPO Bisha, Tehsil Kandaghat, District Solan, H.P. and a/p, w/o aforesaid Sh. Arun Kumar Have moved an application u/s 15 of the Special Marriage Act, 1954 for registration of their marriage which was solemnized on 09-02-2023.

And, whereas, both the applicants have submitted in their application and in their affidavits duly attested by Executive Magistrate Kandaghat that they were unmarried at the time of solmnization of their marriage as it was their first marriage and were major in age and having no prohibited relations to each other, debarring them to marry each other. Both the applicants have requested for registration of their marriage.

Therefore, by this notice the public in General is informed that if anyone has any objection regarding registration of this marriage, he/she may present before this court on or before 19-08-2025 for hearing of objections if any. In case no objection is received by dated 19-08-2025, it will be presumed that there is no objection to the registration of the aforesaid marriage and the same will be registered accordingly.

Given under my hand and seal of the court on 15-07-2025.

Seal.

Sd/-
Marriage Officer-cum-SDM,
Kandaghat, District Solan (H. P.).

**In the Court of Assistant Collector Grade-II, Sub-Tehsil Parwanoo,
District Solan (H.P.)**

Case No. :
25/ 2025

Date of Instt. :
18-07-2025

Date of Decision :
Fixed for 19-08-2025

Sh. Kumbh Raj s/o Lt. Ram Bhadur, permanent r/o Village Noa Gaon, District Rolpa Libang, Nepal, c/o Manmohan s/o Sh. Gurcharan Singh, r/o Village Gumma, P.O. Taksal, Sub-Tehsil Parwanoo.

Versus

General Public through : Gram Panchayat Taksal, Sub-Tehsil Parwanoo, Distt. Solan (H.P.).

Application under section 13(3) of H.P. Birth and Death Registration Act, 1969.

Proclamation

Sh. Kumbh Raj s/o Lt. Ram Bhadur, permanent r/o Village Noa Gaon, District Rolpa Libang, Nepal, c/o Manmohan s/o Sh. Gurcharan Singh, r/o Village Gumma, P.O. Taksal, Sub-Tehsil Parwanoo has filed an application under section 13 (3) of the birth & death registration Act, 1969 and section 9(3) of HO Birth & Death Registration Rule, 2003 stating therein that his son namely Late Tara Chand was died on 20-01-2023 at Village Taksal, Sub-Tehsil Parwanoo, District Solan, H.P. but his death could not be registered in the Death & Birth records of Gram Panchayat Taksal, within stipulated time period. He prayed for issuing necessary orders to the Secretary-cum-Registrar Birth & Death, Gram Panchayat Taksal, Sub-Tehsil Parwanoo for entering the same.

Therefore, by this proclamation, the General Public is hereby informed that any person having objection regarding the death of namely Late Tara Chand s/o Kumbh Raj, r/o Village & P.O. Taksal, Sub-Tehsil Parwanoo, District Solan (H.P.) may file their objection in this court on or before 19-08-2025 failing which no objection shall be entertained.

Given under my hand and seal on this 18th day of July, 2025.

Seal.

Sd/-
Assistant Collector 2nd Grade,
Sub-Tehsil Parwanoo, District Solan (H. P.).

**In the Court of Assistant Collector Grade-II, Sub-Tehsil Parwanoo,
District Solan (H.P.)**

Case No. :
22/ 2025

Date of Instt. :
18-07-2025

Date of Decision :
Fixed for 19-08-2025

Smt. Jogindero Devi d/o Shri Sunder Lal now w/o Sh. Babu Ram, r/o Village Nabhon, P.O. Pratha, Sub-Tehsil Parwanoo, District Solan, H.P.

Versus

General Public through : Gram Panchayat Bhojnagar, Sub-Tehsil Parwanoo.

Application under section 13(3) of H.P. Birth and Death Registration Act, 1969.

Proclamation

Smt. Jogindero Devi d/o Shri Sunder Lal now w/o Sh. Babu Ram, r/o Village Nabhon, P.O. Pratha, Sub-Tehsil Parwanoo, District Solan, H.P. has filed an application under section 13 (3) of the birth & death registration Act, 1969 and section 9(3) of Birth & Death Registration Rule, 2003 stating therein that her birth could not be registered in the Death & Birth records of Gram Panchayat Bhojnagar, within stipulated period. Her Date of Birth is 01-07-1975 and place of Birth is Village Chainthon, P.O. Pratha, Sub-Tehsil Parwanoo. She prayed for necessary orders to the Secretary-cum-Registrar Birth & Death, Gram Panchayat Bhojnagar, Sub-Tehsil Parwanoo for entering the same.

Therefore, by this proclamation, the General Public is hereby informed that any person having objection regarding entering the birth of Smt. Jogindero Devi d/o Shri Sunder Lal may file their objection in this court on or before 19-08-2025 failing which no objection shall be entertained.

Given under my hand and seal on this 18th day of July, 2025.

Seal.

Sd/-
Assistant Collector 2nd Grade,
Sub-Tehsil Parwanoo, District Solan (H. P.).

**In the Court of Assistant Collector 2nd Grade-cum-Naib-Tehsildar, Kasauli,
Tehsil Kasauli, District Solan (H.P.)**

<u>Case No.</u>	<u>Date of Institution</u>	<u>Date of Decision</u>
13/IX of 2024	09-07-2024	Pending

1. Sh. Kanshi Ram s/o Hiru, r/o Village Kattal Ka Bagh, Tehsil Kasauli, District Solan, H.P.
..Applicant.

Versus

1. Sh. Mani Ram s/o Sh. Rama Nand, r/o Katal Ka Bagh, Tehsil Kasauli, District Solan, H.P.,
2. Sh. Govind Ram s/o Sh. Rama, r/o Katal Ka Bagh, Tehsil Kasauli, District Solan, H.P.,
3. Sh. Harish Kumar s/o Sh. Rana Nand, r/o Katal Ka Bagh, Tehsil Kasauli, District Solan, H.P.,
4. Sh. Dinesh Kumar s/o Sh. Sita Ram, r/o Katal Ka Bagh, Tehsil Kasauli, District Solan, H.P.,
5. Sh. Naresh Kumar s/o Sh. Sant Ram, r/o Katal Ka Bagh, Tehsil Kasauli, District Solan, H.P.,
6. Sh. Het Ram s/o Sh. Bajeeru, r/o Katal Ka Bagh, Tehsil Kasauli, District Solan, H.P.,
7. Sh. Kuldeep s/o Sh. Sukh Ram, r/o Katal Ka Bagh, Tehsil Kasauli, District Solan, H.P.,
8. Sh. Amar Lal s/o Sh. Sukh Ram, r/o Katal Ka Bagh, Tehsil Kasauli, District Solan, H.P.,
9. Sh. Hem Ram s/o Sh. Prem Chand, r/o Katal Ka Bagh, Tehsil Kasauli, District Solan, H.P.,
10. Sh. Baldev Singh s/o Prem Chand, r/o Katal Ka Bagh, Tehsil Kasauli, District Solan, H.P.,
11. Sh. Dhani Ram s/o Prem Chand, r/o Katal Ka Bagh, Tehsil Kasauli, District Solan, H.P.,
12. Sh. Nokhi Ram s/o Hiru, r/o Katal Ka Bagh, Tehsil Kasauli, District Solan, H.P.,
13. Sh. Puran Chand s/o Sh. Khirki, r/o Katal Ka Bagh, Tehsil Kasauli, District Solan, H.P.,
14. Sh. Chuni Alias Chuni Lal s/o Khirki, r/o Katal Ka Bagh, Tehsil Kasauli, District Solan, H.P.,
15. Smt. Kamla Devi d/o Sh. Khirki, r/o Katal Ka Bagh, Tehsil Kasauli, District Solan, H.P.,
16. Smt. Geeta Devi d/o Sh. Khirki, r/o Katal Ka Bagh, Tehsil Kasauli, District Solan, H.P.,
17. Smt. Shankri Devi d/o Sh. Khirki, r/o Katal Ka Bagh, Tehsil Kasauli, District Solan, H.P.

..Respondents.

Subject.—An application under section 123 of H.P. Land Revenue Act, 1954 for partition of Land bearing Khata/Khatauni No. 10/13, Kita 03, measuring 00-07-48 Hect., situated at Mouja Katal Ka Bagh, Patwar Circle Kot, Tehsil Kasauli and District Solan, H.P. as per Jamabandi Year 2016-2017.

Case No. 13/IX of 2024

उद्घोषणा.—(Proclamation) under section 23 & 125(B) of H.P. Land Revenue Act, 1954.

इस उद्घोषणा के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वादी श्री कांशी राम पुत्र हीरू ने एक प्रार्थना-पत्र धारा 123 हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के तहत खाता/खतौनी नं० 10/13, किता 03, रकबा 00-07-48 हेक्टेयर भूमि की हुक्मन तकसीम करवाने बारे इस अदालत में पेश किया है, जिसमें दिनांक 26-08-2025 को तरीका तकसीम के आदेश पातिर किये जाने हैं।

अतः हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 23 व 125, ठद्द के तहत सर्वसाधारण को इस उद्घोषणा के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि उक्त तकसीम में किसी भी प्रतिवादीगण या अन्य किसी भी व्यक्ति को कोई भी उजर व एतराज है तो वह दिनांक 26-08-2025 को दोपहर 2.00 बजे तक अपना उजर व एतराज अधोहस्ताक्षरी की अदालत में स्वयं पेश होकर या लिखित रूप में पेश कर सकता है, तदोपरान्त कोई भी उजर व एतराज जेरे समायत न होगा व तरीका तकसीम आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 22-07-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग,
कसौली, तहसील कसौली, जिला सोलन (हि०प्र०)।

CORRECTION OF NAME

I, Divyanshi Kaur d/o Sh. Swarn Singh, r/o V.P.O. Nagni, Tehsil Nurpur Ban (175), Kangra (H.P.) declare that in my Aadhar Card my name is inadvertently entered as Divanshi Kaur. Divyanshi Kaur and Divanshi Kaur is one and same person. All concerned note it.

DIVYANSHI KAUR
d/o Sh. Swarn Singh,
r/o V.P.O. Nagni,
Tehsil Nurpur Ban (175), Kangra (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Virender Singh s/o Sh. Joginder Singh, r/o Village Barin, P.O. Barin Mandir, Tehsil Bamson at Tauni Devi, District Hamirpur (H.P.) declare that I have changed my minor son's name from Mahnender Singh to Mohinder Singh for all purposes in future. Please note.

VIRENDER SINGH
s/o Sh. Joginder Singh,
r/o Village Barin, P.O. Barin Mandir,
Tehsil Bamson at Tauni Devi, District Hamirpur (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Tanzin Angmo w/o Ranvir Singh, V.P.O. Malang, Tehsil Lahaul, Distt. Lahaul-Spiti (H.P.) declare that my name is wrongly entered as Angmo in Aadhar Card. Now I intend to correct my name as Tanzin Angmo in Aadhar Card. Concerned note it.

TANZIN ANGMO
w/o Ranvir Singh,
V.P.O. Malang,
Tehsil Lahaul, Distt. Lahaul-Spiti (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Surender Kumar s/o Des Raj, Village Sanot, P.O. & Tehsil Dehra, District Kangra (H.P.) declare that my son's name is wrongly entered in his Aadhar Card as Divyanshu, whereas his correct name is Divyansh. In other documents his name is also written as Divyansh. In future he may be known as Divyansh s/o Surender Kumar for all purposes. Concerned note.

SURENDER KUMAR
s/o Des Raj,
Village Sanot,
P.O. & Tehsil Dehra, District Kangra (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Aditya Rajput s/o Sukhbinder Singh, r/o Village Kanol, P.O. Chanour, Tehsil Dadasiba, District Kangra (H.P.) declare that my father and mother's name is wrongly entered in my 10th Passing Certificate as Sukhwinder Singh and Sangeeta, whereas my father and mother's correct names are Sukhbinder Singh and Sangeeta Devi. Concerned note.

ADITYA RAJPUT
s/o Sukhbinder Singh,
r/o Village Kanol, P.O. Chanour,
Tehsil Dadasiba, District Kangra (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Kashmir Singh s/o Mangat Ram, V.P.O. Gummer, Tehsil Jawalamukhi, District Kangra (H.P.) declare that my son's name is wrongly entered in his Aadhar Card as Rishav, whereas his correct name is Rishabh. In future he may be known as Rishabh s/o Kashmir Singh for all purposes. Concerned note.

KASHMIR SINGH
s/o Mangat Ram,
V.P.O. Gummer,
Tehsil Jawalamukhi, District Kangra (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Sanjeev Kumar s/o Late Sh. Bhagat Ram, r/o Village Sanana, P.O. Sandhu, Tehsil Theog, District Shimla (H.P.) declare that my name and my wife's name is wrongly entered in my son's (Arnav SR Verma) Education Documents as Sanjeev Verma and Rama Verma. Our correct names are Sanjeev Kumar and Rama Devi. Please correct our names in our son's Educational Certificate.

SANJEEV KUMAR
s/o Late Sh. Bhagat Ram,
r/o Village Sanana, P.O. Sandhu,
Tehsil Theog, District Shimla (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Sukrita Devi w/o Ashok Kumar, V.P.O. Boungha, Tehsil Dehra, District Kangra (H.P.) declare that my name is wrongly entered in my Aadhar Card as Anuraj *alias* Sukrita Devi, whereas my correct name is Sukrita Devi. In future I may be known as Sukrita Devi w/o Ashok Kumar for all purposes. Concerned note.

SUKRITA DEVI
w/o Ashok Kumar,
V.P.O. Boungha,
Tehsil Dehra, District Kangra (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Anil Kumar s/o Sh. Kashmir Singh, r/o V.P.O. Dhaned, Tehsil & District Hamirpur (H.P.) declare that I have changed my minor daughter's name from Aakritka Thakur to Akritika Thakur for all purposes in future. Please note.

ANIL KUMAR
s/o Sh. Kashmir Singh,
r/o V.P.O. Dhaned,
Tehsil & District Hamirpur (H.P.).

